

20/01/25

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित।
मिरमल मूल अपील के साथ पैराग्राफ। मूल अपील
में निर्णय हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र पर
कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः प्रार्थना
पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली के सले
में शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रखी जाते।

जिला कलेक्टर; मुन्दी